Seventeenth Loksabha

an>

Title: Demand to debar proselytizer to take the benefits of Reservation Policy.

श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): माननीय अध्यक्ष जी, जनजातीय समाज के एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, भारत की सांस्कृतिक परंपरा में जनजातीय समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है । परंतु जनजातीय समुदाय में लाभ, प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण का काम भी किया जाता है, जिससे धर्मांतरित व्यक्ति आरक्षण का लाभ भी प्राप्त करता है और कहीं न कहीं संस्कृति का नुकसान भी करता है । भारत के संविधान के अनुछेद 341 में अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अगर धर्मांतरित होता है, तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है । वहीं आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति धार्मांतरित होता है, तो उसको आरक्षण का लाभ भी मिलता है । इस प्रकार से लाभ प्रलोभनों के आधार पर कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरण करता है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उसके लिए कड़ी कानूनी सज़ा का प्रावधान किया है । मैं देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ कि वे इस बार सदन में ऐसे कानून का प्रावधान ले कर आएं, जिससे कि इस प्रकार से धार्मांतरित व्यक्तियों का आरक्षण समाप्त किया जा सके । साथ ही जिन्होंने भी धर्मांतरण के बाद आरक्षण लिया है, उनका आरक्षण समाप्त करें । आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए पूरे जनजातीय समुदाय की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ ।

12.14 hrs (Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)